



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259850  
CG-DL-E-02012025-259850

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]  
No. 362]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSA 10, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 2024

मामला सं. एडीडी ओआई) – 49/2024

विषय : चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

- फा. सं. 6/52/2024 – डीजीटीआर : समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, एनओसीआईएल लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' कहा

गया है) के समक्ष चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए सल्फेनामाइड्स एक्सेलेरेटर (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तुएं' अथवा 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सल्फेनामाइड्स एक्सेलेरेटर है। संभव अंतिम अनुप्रयोगों के आधार पर, भारत में उत्पादित सल्फेनामाइड्स एक्सेलेरेटर के चार विभिन्न प्रकार हैं, जो नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

- क. सीबीएस - एन-साइक्लोहेक्सिल-2-बेंजोथियाज़ोल सल्फेनामाइड
- ख. एनएस - एन-टर्ट-बुटाइल-2-बेंजोथियाज़ोल सल्फेनामाइड
- ग. डीसीबीएस - एन,एन'-डाइसाइक्लोहेक्सिल-2-बेंजोथियाज़ोल सल्फेनामाइड
- घ. एमओआर - एन-ऑक्सीडाइथिलीन-2-बेंजोथियाज़ोल सल्फेनामाइड

4. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में एमओआर और डीसीबीएस सल्फेनामाइड्स एक्सेलेरेटर शामिल नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में केवल विचाराधीन उत्पाद का सीबीएस और एनएस फॉर्म शामिल है।
5. सल्फेनामाइड एक्सेलेरेटर, साइक्लोहेक्सिलामाइन, टर्शियरी-बुटाइलामाइन और डाइ साइक्लोहेक्सिलामाइन जैसे अमीनों के साथ मर्कैप्टो बेन्ज़ोथियाज़ोल के प्रतिक्रिया संबंधी उत्पाद हैं। मर्कैप्टो-बेन्ज़ोथियाज़ोल विभिन्न प्रकार के सल्फेनामाइड एक्सेलेरेटर के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्ची सामग्री है।
6. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत, टैरिफ वर्गीकरण के उप-शीर्षक 3812 के अंतर्गत एचएस कोड 3812 10 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। आवेदक ने कहा है कि उत्पाद को एचएस कोडों - 29215190, 29303000, 29319090, 29342000, 38121000, 38123100 और 38123990 के तहत आयात किया जाता है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
7. आवेदक ने सीबीएस और एनएस को दो अलग-अलग पीसीएन के रूप में प्रस्तावित किया है।
8. वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं तथा जांच की शुरुआत होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (औचित्य सहित), यदि कोई हो, करके प्रस्ताव कर सकते हैं। बिना औचित्य के प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

**ख. समान वस्तु**

9. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए उत्पादों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों ही समान वस्तुएँ हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का बदल बदल कर उपयोग कर सकते हैं और करते रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, नियमों के तहत उन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

**ग. घरेलू उद्योग और आधार**

10. यह आवेदन एनओसीआईएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि वह नियम 2(ख) के तात्पर्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में आयातक से संबद्ध नहीं है। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। भारत में उत्पाद का एक अन्य उत्पादक है - फिनोरकेम लिमिटेड। प्राधिकारी ने आवेदन के प्राप्त होने के संबंध में उत्पादक को सूचना भेजी थी। निर्माता ने वर्तमान जांच का समर्थन किया है।

11. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, यह देखा गया है कि भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में आवेदक के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। अतः आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से 'घरेलू उद्योग' होता है, और यह आवेदन नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

**घ. संबद्ध देश**

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

**ङ. जांच की अवधि**

13. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 (12 माह) थी। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल थी।

14. प्राधिकारी ने जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (जो 15 माह की अवधि है) पर विचार किया है। जांच की अवधि उपयुक्त है, क्योंकि यह बिल्कुल हाल की अवधि है, जो जांच शुरू होने की तारीख से 6 माह के भीतर की है और इसमें घरेलू उद्योग की वित्तीय लेखा अवधि का एक पूरा वर्ष शामिल है। इसके अलावा, विचार की गई अवधि से कोई भी गलत विश्लेषण नहीं होगा। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक की अवधि शामिल है।

### च. कथित पाटन का आधार

#### चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है तथा यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक कि चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
16. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत के संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं है। जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को बेचा गया है, उस संबंध में, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद का भारत में एक समर्पित कोड है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका कोई समर्पित कोड नहीं है और इसीलिए, निर्यात कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक ने तीसरे देश को अपनी निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। जांच शुरुआत करने के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर किया गया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है। हितबद्ध पक्षकार आवेदक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

#### यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने इन देशों के लिए अपनी निर्यात कीमत पर सामान्य मूल्य के आधार के रूप में विचार किया है। जांच शुरुआत करने के लिए, सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है। हितबद्ध पक्षकार आवेदक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

#### निर्यात कीमत

18. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआई एंड एस के लेन-देन वार आंकड़ों में उल्लिखित सीआईएफ कीमत पर विचार करके किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय के लिए समायोजन किए जाने का दावा किया गया है।

#### पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य

हैं कि विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

#### छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन किए गए आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक की कीमतों पर सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत पर दबाव का प्रभाव है। आवेदक वित्तीय हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय के साथ आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है। जांच की अवधि में आवेदक का प्रदर्शन कीमत संबंधी मापदंडों में प्रतिकूल रहा है। आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। उत्पाद का पाटन होने से आवेदक को परिचालन का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने में रुकावट आई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन किए गए आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य मौजूद हैं।

#### ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के चलते घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति और ऐसी क्षति एवं पाटन किए गए आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की समुचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

#### झ. प्रक्रिया

22. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का अनुसरण किया जाएगा।

#### ञ. सूचना प्रस्तुत करना

23. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in) और [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और साथ ही एक प्रति [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) और [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in) पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुत अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्व योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में हों।

24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार तथा भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित फॉर्मेट और विधि से दाखिल की जानी चाहिए।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित फॉर्मेट और विधि से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें, ताकि उन्हें जांच के संबंध में सूचना और आगे की प्रक्रियाओं की जानकारी रह सके।

#### ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना आवेदक द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित ईमेल पतों [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in) और [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) पर भेजी जानी चाहिए और साथ ही एक प्रति [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) और [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in) पर भी भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज किए जा सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के लिए अपने उत्तरों को दाखिल करें।
30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारणों दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

#### ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

31. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
32. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकों के प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना के रूप में विचार किया जाएगा, तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

33. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी जो स्वभाविक रूप से गोपनीय है और/ अथवा अन्य सूचना, जिसके संबंध में ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। जहां ऐसी सूचना के लिए, जिसके संबंध में स्वभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, वहां सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध किया जाना चाहिए अथवा रिक्त स्थान रखा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो) तथा ऐसी सूचना को समुचित रूप से तथा पर्याप्त रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
35. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को समुचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है, और नियमावली 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण के साथ कारणों का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किए जाने चाहिए।
36. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
37. नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त कारण के विवरण के बिना तथा गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचना प्रस्तुत किए बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
38. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध समुचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
39. प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

**ड. असहयोग**

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना सुलभ कराने से मना करता है और अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वह उचित समझे।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, 31<sup>st</sup> December 2024

CASE No. AD (OI) – 49/2024

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Sulphenamides Accelerators originating and exported from China PR, European Union and United States of America.**

1. **F. No. 6/52/2024-DGTR:** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), NOCIL Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of Sulphenamides Accelerators (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods' or 'PUC') originating and exported from China PR, European Union and United States of America (herein after referred to as "subject countries").
2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports of the subject goods from the subject countries and has requested for the imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.



**A. Product under consideration**

3. The product under consideration in the present investigation is Sulphenamides Accelerators. Based on eventual end applications, there are four different types of Sulphenamides accelerators produced in India which are as listed below: -
  - a. CBS - N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide
  - b. NS - N-tert-butyl-2-benzothiazole sulfenamides
  - c. DCBS - N, N'-Dicyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamides
  - d. MOR - N-oxydiethylene-2-benzothiazole sulphenamides
4. The scope of the product under consideration excludes MOR and DCBS Sulphenamides Accelerators. The scope of the product under consideration only includes CBS and NS form of the product under consideration.
5. Sulphenamide accelerators are the reaction products of Mercapto benzothiazole with an amines, such as cyclohexylamine, tertiary-butylamine and Di cyclohexylamine. Mercapto-benzothiazole is the major raw material required for production of different types of Sulphenamides Accelerators.
6. The product under consideration is classified under chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 3812 of the Tariff classification under the HS code 3812 10 00. The applicant has stated that product is imported in the following HS codes: - 29215190, 29303000, 29319090, 29342000, 38121000, 38123100 and 38123990. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
7. The applicant has proposed CBS and NS as two different PCNs.
8. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation. Submissions made without justification will not be considered by the Authority.

**B. Like article**

9. The applicant has submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicant and those exported from the subject countries, and both are like articles. The product produced by the applicant and those imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

**C. Domestic industry & standing**

10. The applicant has been filed by NOCIL Limited. The applicant has certified that it is not related to an exporter or producer of the subject goods in the subject countries or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The applicant has not imported the product under consideration. There is another producer of the product in India – Finorchem Limited. The Authority had sent an intimation to the producer about the receipt of the application. The producer has supported the present investigation.
11. As per the evidence available on record, it is seen that the production of the applicant accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. Therefore, the applicant constitutes ‘domestic industry’ within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

**D. Subject countries(ies)**

12. The subject countries in the present investigation are China PR, European Union and United States of America.

**E. Period of investigation**

13. The period of investigation proposed by the applicant was 1st April 2023 – 31st March 2024 (12 months). The injury examination period covered the period April 2020 – March 2021, April 2021 – March 2022, April 2022 – March 2023 and the period of investigation.
14. The Authority has considered the period of investigation as 1st April 2023 to 30th June 2024 (which is a 15-month period). The period of investigation is appropriate, as it is most recent, within 6 months from the date of initiation, and includes a complete year of financial accounting period of the domestic industry. Further, the period considered will not lead to any skewed analysis. The injury examination period covers the period April 2020 – March 2021, April 2021 – March 2022, April 2022 – March 2023 and 1st April 2023 to 30th June 2024.

**F. Basis of alleged dumping****Normal value for China PR**

15. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China’s Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
16. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. With regard to the price at which the product under consideration have been sold from the market economy third country to any other country, including India, the applicant has submitted that the product under consideration has a dedicated code in India, but it does not have a dedicated code globally and therefore, export price cannot be considered. Therefore, the applicant has claimed normal value based on its export price to third country. For initiation, the normal value has been

determined based on price paid or payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin. The interested parties may offer their comments on the methodology proposed by the applicant.

**Normal value for European Union and United States of America**

17. The applicant has considered its export price to these countries as a basis for normal value. For initiation, the normal value has been determined based on cost of production in India, adjusted to include a reasonable profit margin. The interested parties may offer their comments on the methodology proposed by the applicant.

**Export price**

18. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DGCI&S transaction wise data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses.

**Dumping margin**

19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject countries is not only above the *de minimis* level but is also significant. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

**G. Evidence of injury and causal link**

20. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished *prima facie* evidence with respect to the injury suffered because of the alleged dumped imports. There is positive price undercutting and price suppression effect on the prices of the applicant. The applicant is suffering financially with financial losses and negative return on capital employed. The performance of the applicant in the period of investigation has been adverse in price parameters. The import volume has increased. Dumping of the product has prevented the applicant from achieving the desired level of operations. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries.

**H. Initiation of anti-dumping investigation**

21. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**I. Procedure**

22. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

**J. Submission of information**

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in) and [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) with a copy to [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) and [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in). It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
24. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

**K. Time limit**

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in) and [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) with a copy to [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) and [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in), within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the applicant would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

**L. Submission of information on confidential basis**

31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
32. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

**M. Inspection of public file**

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

**N. Non-cooperation**

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

**DARPAN JAIN, Designated Authority**